

10/3/16
प्रेषक,

सुदीप कुमार बनर्जी,
अध्यक्ष, क्रय समिति/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०एस०टी० एक्ट),
कानपुर-देहात।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश महोदय,
कानपुर-देहात।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-२०५-XVI-CPC/e-courts/
Allahabad Dated 30.10.2015 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, कानपुर-देहात में
यू०पी०एस०(12 वोल्ट 26 ए०एच०) की 136 बैटरी की आपूर्ति हेतु निविदायें आमंत्रित की
जानी हैं जिनका प्रकाशन समाचार पत्र में कराया जाना है।

इसके पूर्व दिनांक-११.०१२.२०१५ को माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश
के अनुपालन में उपरोक्त विषय में कार्यवाही की गयी थी, किन्तु अपरिहार्य कारणों से कार्यवाही
पूर्ण नहीं हो सकी तथा इसी बीच माननीय जनपद न्यायाधीश का स्थानान्तरण भी हो गया था।

इसके उपरान्त दिनांक-२९.०२.२०१६ को पुनः क्रय समिति का गठन किया
गया, जिसमें श्री सुदीप कुमार बनर्जी, विशेष न्यायाधीश (एस०सी०एस०टी० एक्ट) को अध्यक्ष
क्रय समिति व श्री सन्तराम अपर जिला जज, श्री विनोद कुमार सिंह अपर जिला जज, श्री
गुलाब सिंह अपर जिला जज को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

आज दिनांक-०१.०३.२०१६ को मेरी अध्यक्षता में क्रय समिति की बैठक
आहूत की गयी, जिसमें यू०पी०एस० की बैटरियों के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में निविदाएं
आमंत्रित किये जाने हेतु क्रय समिति की राय व्यक्त की गयी।

अतः निविदा के नियम व शर्तों, प्रेस विज्ञप्ति तथा आवेदन पत्र का प्रारूप इस पत्र
के साथ महोदय के सादर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक आदेशार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

Approved.
1-3-16.

(सुदीप कुमार बनर्जी)
अध्यक्ष, क्रय समिति/ 03-2016

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०एस०टी० एक्ट),
कानपुर-देहात।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर-देहात।

निविदा सूचना


जनपद न्यायालय, कानपुर-देहात के कम्प्यूटर सिस्टम के यू०पी०एस०(12 वोल्ट 26 ए०एच०) की 136 बैटरी जिसकी कम से कम दो वर्ष की आनसाइट वारण्टी(Onsite Warranty) हो, के क्रय हेतु तथा पुरानी बैटरी (12 वोल्ट 26 ए०एच०) को वापस खरीदने तथा बिना वापस खरीदे अलग-अलग प्रकार से सीलबन्द निविदायें दिनांक-16-03.2016 को 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। नियत समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्राप्त निविदायें उसी दिन समय 4.00 बजे क्रय समिति के समक्ष मीटिंग हाल, जनपद न्यायालय, कानपुर-देहात में खोली जायेगी। निविदा हेतु धरोहर धनराशि 5,000/- (पाँच हजार) रुपये नगद अथवा उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश, कानपुर-देहात के नाम देय हो, केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय कानपुर-देहात में जमा करना होगा, जो निविदा स्वीकृत न होने की दशा में उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस में निविदाकर्ता को वापस कर दिये जायेंगे।


बैटरियों का विवरण व निविदा के नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आफिसियल वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय कानपुर-देहात की आफिसियल वेबसाइट ecourts.gov.in/kanpurdehat पर उपलब्ध है। निविदा के नियम व शर्तें उपरोक्त वेबसाइट, केन्द्रीय नजारत के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती हैं।


(गुलाब सिंह)


सदस्य, क्रय समिति/
अपर जिला जज,
कोर्ट संख्या-2
कानपुर-देहात।


(विनोद कुमार सिंह)

सदस्य, क्रय समिति/
अपर जिला जज,
कोर्ट संख्या-८
कानपुर-देहात।


(सन्तराम)

सदस्य, क्रय समिति/
अपर जिला जज,
कोर्ट संख्या-३
कानपुर-देहात।


(सुदीप कुमार बहजरी)

अध्यक्ष, क्रय समिति
विशेष न्यायाधीश,
(एस०सी०एस०टी०एक्ट),
कानपुर-देहात।





प्रतिलिपि:- निम्न को सूचना पट पर चरप्पा करने तथा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

- 1- नोडल अधिकारी, कानपुर-देहात को माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट तथा जनपद न्यायालय कानपुर-देहात की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- 2- जिला सूचना अधिकारी, कानपुर-देहात को समाचारपत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
- 3- स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशन हेतु
- 4- केन्द्रीय नाजिर को जनपद न्यायालय, कानपुर-देहात, कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर-देहात एवं कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर-देहात के नोटिस बोर्ड पर चरप्पा करने हेतु।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर-देहात।

यू०पी०एस० बैटरी के निविदा आमंत्रित करने हेतु नियम व शर्तें

1. निविदा स्वीकृत किये जाने की दशा में बैटरी आपूर्तिकर्ता को नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय कानपुर-देहात में बैटरियों को स्वयं के व्यय पर न्यायालय में पहुँचाकर उन्हें यथास्थान स्थापित करना होगा।
2. आपूर्ति की जाने वाली बैटरियों की न्यूनतम दो वर्ष आनसाइट वारण्टी(Onsite Warranty) होना अनिवार्य है।
3. निविदाकर्ता को निविदा के साथ बैटरी का मूल्य, उसका माडल एवं ब्राण्ड का नाम भी अंकित कर निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
4. जनपद न्यायाधीश, कानपुर-देहात को यह अधिकार होगा कि वह निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दे।
5. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय कानपुर-देहात होगा।
6. प्रत्येक बैटरी के सुचारु कार्य करने के सम्बन्ध में सप्लाई करने वाली फर्म प्रत्येक माह के 15 तारीख या उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में चेक करके उनके सुचारु संचालन की आख्या नजारत अनुभाग में जमा करेंगे।
7. किसी भी बैटरी के सुचारु रूप से कार्य न करने के सम्बन्ध में सेन्ट्रल नाजिर द्वारा सम्बन्धित फर्म को सूचित करने पर उसी तिथि को सप्लाई फर्म द्वारा उसका निवारण किया जायेगा।

| | | | |
|---|---|---|---|
|  (गुलाब सिंह) |  (विनोद कुमार सिंह) |  (सन्तराम) |  (सुदीप कुमार बनर्जी) |
| सदस्य, क्रय समिति/ अपर जिला जज, कोर्ट संख्या-2 कानपुर-देहात। | सदस्य, क्रय समिति/ अपर जिला जज, कोर्ट संख्या-८ कानपुर-देहात। | सदस्य, क्रय समिति/ अपर जिला जज, कोर्ट संख्या-३ कानपुर-देहात। | अध्यक्ष, क्रय समिति विशेष न्यायाधीश, (एस०सी०एस०टी०एक्ट), कानपुर-देहात। |

कार्यालय जगपद न्यायाधीश, कानपुर-देहात।

यू०पी०एस के लिए 12 बोल्ट, 26 ए०एच० की बैटरी (प्रतिष्ठित कम्पनी की) हेतु

आवेदन पत्र/टेण्डर फार्म

नवीनतम पासपोर्ट
साइज फोटो चस्पा करें

निविदा वास्ते : बैटरी क्रय किये जाने तथा पुरानी
बैटरियों के बिक्री(प्रतिष्ठित कम्पनी की)

अग्रिम जमा धरोहर धनराशि : 5,000/-रूपये

निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैटरी की कीमत :

व कम्पनी का नाम :

बैटरी की वारण्टी की अवधि तथा प्रकार :

निविदाकर्ता का पूरा नाम :

(निर्वाचन पहचान पत्र की फोटोप्रति सहित)

पत्र व्यवहार का पता :

बैंक खाता विवरण :

मोबाइल नम्बर/फोन नम्बर :

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर